(88)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/2017/1984 विरूद्ध आदेश दिनांक 2-5-17 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 158/अपील/11-12

सुरैया खातून पत्नी श्री नजीर बैग पुत्री स्वर्गीय अब्दुल रऊफ
निवासी बडा बाग मदरसा बोर्ड के सामने इस्लामी गेट रोड,
भोपाल

.....आवेदक

विरूद्ध

1-कनीज खाफिमा बेवा अब्दुल रऊफ
2-अब्दुल समद आत्मज स्व0 रऊफ
निवासीगण 97, गली नम्बर-4, आशियाना कॉलोनी,
हाउसिंग बोर्ड बैरसिया रोड, भोपाल म0प्र0
जिला बैतूल म0प्र0
3-अब्दुल इकबाल आत्मज स्व0अब्दुल रऊफ
मकान नम्बर 162 सी सेक्टर डीआईजी बंगला के पीछे,
फिरदौस नगर बैरसिया रोड भोपाल
4-अब्दुल हबीब खॉ आत्मज स्व0अब्दुल रऊफ
निवासी मैकेनिक द्वारा मदरसा यासमीन,
4/4, रम्भा नगर गली नम्बर 2 के पास
बैरसिया रोड भोपाल
5-अब्दुल रईस आत्मज स्व0अब्दुल रऊफ
मकान नम्बर 162 सी सेक्टर डीआईजी बंगला के पीछे,
फिरदौस नगर बैरसिया रोड भोपाल
6-आरिफ अमान पुत्र श्री अमान उल्ला
निवासी मस्जिद शकूर खॉ,
सूजे खॉ का अटटा इतवारा
जुमेराती भोपाल

7-श्रीमती रिहाना खान पत्नी श्री इब्राहिम खान पुत्री स्वर्गीय श्री अब्दुल रऊफ
निवासी द्वारा भारत आर्म्स एवं एलीमेंस
बेलदारपुरा बालबिहार रोड एमपी गन हाऊस के पीछे,
भोपाल मध्यप्रदेश

.....अनावेदकगण

श्री बी0एन0मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री जी0एस0गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-5-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका ने मौजा ईटखेडी सडक स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 16, 24, 23, 30, 32, 33, 46, 47 व 48 कुल किता 9 रकबा 7.38 एकड़ भूमि पैतृक होने से उसके पिता के स्वर्गवास होने के उपरांत सभी वारिसानों के नाम अंकित होना थी, किन्तु अनावेदकगण ने बाला-बाला रूप से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका की सहमति के बिना अपना नाम तहसील हुजूर जिला भोपाल की संशोधन क्रमांक 16 प्रमाणित दिनांक 14-05-2006 से दर्ज करा लिया है तथा प्रश्नाधीन भूमि विक्रय किये जाने हेतु क्रेता द्वारा उससे सहमति हस्ताक्षर किये जाने हेतु सम्पर्क किये जाने पर उक्त संशोधन संज्ञान में आने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समय बाह्य प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31-3-2012 को आदेश पारित कर अपील समय बाह्य मानकर अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 2-5-17 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पंजी में यह स्पष्ट नहीं है कि इश्तेहार का प्रकाशन किस दिनांक को कराया गया उसे कहॉ चस्पा किया गया पंजी में इश्तेहार का प्रकाशन त्रुटिपूर्ण होने के कारण शून्यवत है जिस तथ्य पर

अधीनस्थ न्यायालय ने देखे बिना आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 के पक्ष में बटवारा प्रमाणीकरण अपीलग्रस्त पंजी में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने कर दिया जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने कर अवैधानिक आलोच्य आदेश पारित किया गया है जबकि वर्तमान में नवीन संशोधन 2011 के तहत जारी दिशा निर्देशों के तहत समस्त तथ्यों पर विधि प्रकाश डालना तथा जिसे न कर अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निगरानीग्रस्त आदेश पारित किया है जिसे निरस्त किया जावे। यह भी कहा गया कि उक्त पंजी पर क्रमांक 5 पर आरिफ अमान खसरा नम्बर 32, 33 रकबा 0.10, 0.93 हेक्टेयर का भी बटवारा इसी पंजी पर किया जा रहा है, जबकि संहिता के प्रावधानों में एक साथ में एक ही परिवार के संपत्ति का होता है यदि वह अन्य सहखातेदारों के साथ प्रविष्टि में है तो उसका विभाजन अलग से करने के उपरांत भी बंटवारा कियाजा सकता है जिस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 178 में अंतर्निहित निर्णय के अनुरूप प्रारूप क में नोटिस जारीन कर किसी भी मामले का नोटिस जारी नहीं किया गया है एवं विहित अवधि 2 माह का समय न देते हुये तथा धारा 178 के नियम 4, 5, 6 में स्थल पर बटान भी तैयार न करते हुये अपीलाधीन आदेश दिया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान न देकर उपरोक्त तथ्यों को अनदेखी कर निगरानीग्रस्त आदेश पारित किये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है इस न्यायालय में प्रचलित निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/17/1643 जो कि वर्ष 1989 के नामान्तरण के संबंध में प्रस्तुत है, में प्रथमदृष्टया आवेदिका को वारिस होने से आवश्यक पक्षकार माना गया है तथा उसकी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नामान्तरण की अपील समय सीमा में ग्राह्य के आदेश दिये है । इस प्रकरण में आवेदिका ने वर्ष 1989 के नामान्तरण के बाद वर्ष 2006 में हुई

बंटवारे की कार्यवाही को चुनौती दी है, जिसमें उसको समय बाह्य माना गया है, जबकि स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया उसका हित भी उक्त भूमि में है, अतः यदि उसकी बंटवारे के खिलाफ अपील गुणदोष पर नहीं सुनी जाती हैतो उसे अपूर्णनीय नुकसान की संभावना है । वह बंटवारे में भी एक हितबद्ध पक्षकार है, जिसे सुना नहीं गया था । अतः अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उसकी अपील समय सीमा में मान्य किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-5-2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-3-2012 निरस्त किये जाते हैं । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदिका की अपील समय सीमा में मान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर